

आज्ञापन

उच्चि. प्रविधिक विद्या परिषद

इलाहाबाद संघ, इलाहाबाद

संख्या- प्राविषापरिषद/सम्बन्ध/2022/7817

सम्बन्ध दिनांक: 30/06/2022

आज्ञापन हेतु:

उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्च शिक्षण/प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा निर्धारित, उच्च शिक्षण द्वारा निर्धारित वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है। उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद द्वारा निर्धारित वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है। उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद द्वारा निर्धारित वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है। उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद द्वारा निर्धारित वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है।

उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है। उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद द्वारा निर्धारित वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है। उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद, उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषद द्वारा निर्धारित वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित उच्चि. प्राविधिक विद्या परिषदों को सूचीबद्ध किया गया है।

संस्था का कोड एवं नाम : 3226-SEYDI INST. OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/प्राविधिक विद्या परिषद/प्राविधिक विद्या परिषद	परिषद द्वारा वर्ष
		द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित	2022-23 हेतु
		परीस संख्या	अनुमोदित परीस संख्या
1	P.G DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
2	P.G DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
3	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
4	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	45	45
6	CIVIL ENGINEERING	30	30
7	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
8	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
9	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	30	30
10	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
11	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
12	INFORMATION TECHNOLOGY	30	30

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0एंड0पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मशी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढाये होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिविधियों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि शासन का ए0आइ0सी0टी0एंड0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विज्ञान उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्तियों संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्तियों संबंधित संस्था को बचानी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0एंड0पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्ग पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशानु निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सचिव-सचवा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐतिहासिक दस्तावेज के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दायवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित स्थापित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आगत, कमीशन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय**प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2023/12890001

लखनऊ-दिनांक: 13-09-2023

:-कार्यालय कार्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समकालीन दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तैयार एवं निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3226-BENDI INST. OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईआईटी/ए०आई/पीजीआई/आई/ए द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
4	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
5	INFORMATION TECHNOLOGY	30	30
6	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
7	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	30	30
8	P.G DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
9	P.G DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
10	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
11	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
12	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	45	45

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-3099/3/2022 टीडीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित राज्य सरकारों की शर्तों के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर प्रेषित किए गए प्रस्ताव संख्या 5023/2023 में स्थानीय स्तर पर के

- ✓ शिक्षण विषय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिकी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा नियमित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिकी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ समस्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सैमेटार विनियमवली-2016 तथा समस्त-समय पर निर्गत वाकानदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रत्येक सावधानता से पालन किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सावधानताओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर वाकान द्वारा निर्गत किये जाने वाले वाकानदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीरक निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2023-24 हेतु पीरक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीरक की नवीनीकरण दे लानु होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद् द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्गत वाकानदेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश साक्षरता द्वारा निर्गत विधिलिपियों/अधिलिपियों/वाकानदेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिकी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरप्राविधिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उत्पन्न वाद के संबंध में ना-यावतलय द्वारा किसी उक्तन की प्रतिभूति संबंधी अध्येत निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संबंध को करनी होगी।
- ✓ वाकानों की समुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिकी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करना परीषद् कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश साक्षरता द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समय पर निर्गत नवीनीकरण आवश्यक नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के दूरदर्शन पेटेंट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, छात्र, छात्र-संख्या, उपकरण, जमा किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त सावधानता उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग लेखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अधिलिपियां और उत्तरसमिलित), सैमेटारों का सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली, 2000 के प्राविधानानुसार परीषद् की गान पर अपने कार्यवाहियों, भवनों और फर्नीचर को परीषद् की परीक्षा के संघटन के लिये परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के श्रेष्ठक सतरीय निरीक्षण के टोलन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक्ष-संख्या 50-आईसीसी-0070ई/00वीसी-0-आई/0-परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं बना जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विधि में निरस्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अंशु कुमार मिश्र)

सचिव

पृ0सं0- प्राविधिकपरिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023